



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 512]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2000/श्रावण 10, 1922

No. 512]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2000/SRAVANA 10, 1922

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2000

का. आ. 721(अ).—केन्द्रीय सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4बी और 4सी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

[सं. रा.रा. 12037/467/92-डब्ल्यू (महा.)वोल्यूम-II]

प्रफुल्ल कुमार, महा निदेशक (सड़क) और अपर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2000

S.O. 721(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts National Highway Nos. 4B and 4C to the National Highways Authority of India.

[F. No NH-12037/467/92-W(MAH)Vol II]

PRAFULLA KUMAR, Director General (Road Development) and Addl. Secy.